(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)

अपील संख्या : 44/2024

तारीख रजू : 28.08.2024 निर्णय दिनांक : 13.05.2025

उनवान

1. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र किशनलाल उर्फ रामकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम नंगलारूध देवनगर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़। – अपीलान्ट

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बहरोड़, हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 993 दिनांक 09.05.2022 वाके ग्राम नंगलारूध देवनगर तहसील–बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. श्री राजपाल यादव – वकील अपीलान्ट की ओर से।

02. पैरोकार सरकार।

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 09.05.2022 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 993 वाके ग्राम नंगलारूध देवनगर तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकील अपीलाण्ट व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि अपीलार्थी सरिस्का से विस्थापित परिवार है जिस कारण आराजी खसरा नम्बर 368/462 रकबा 1.51 है0, 368/463 रकबा 1.51 है० वाके ग्राम नंगलारूध देवनगर तहसील बहरोड अपीलार्थी को आंवटित हुई, जिसका पट्टा उप वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का द्वारा अपीलार्थी के हक में दिनांक 05.05.2009 को जारी किया गया, जो विभाग द्वारा उक्त पट्टा अपीलार्थी राजेन्द्रप्रसाद पुत्र श्री किशनलाल उर्फ रामकिशन के नाम से जारी किया गया। उपरोक्त पटटा के आधार पर रेस्पोडेन्ट व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा अपीलार्थी के हक में आराजी मुतनाज़ा खसरा नम्बर 368/462 रकबा 151 है0, 368/463 रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम नगलारूध देवनगर तहसील बहरोड के राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल सं० 993 दिनांक 09.05.2022 को खोला गया जो विधि विरूद्ध तरीके से अपीलार्थी के हक हकूकों व रिकार्ड के खिलाफ अपीलार्थी का नाम राजू उर्फ राजेन्द्र व अपीलार्थी के पिता के नाम किशनलाल के दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी के समस्त रिकार्ड यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पटटा आदि में अपीलार्थी का असल नाम राजेन्द्र प्रसाद अकित है तथा अपीलार्थी के पिता का असल नाम किशनलाल उर्फ रामकिशन दर्ज है। इस प्रकार इन्तकाल में

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अपीलार्थी व अपीलार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया गया जिसे अपीलार्थी शुद्ध करवाने का अधिकारी है।

अन्त में वकील अपीलान्ट निवेदन किया कि इन्तकाल स० 993 दिनांक 09.05.2024 को निरस्त कर वारिसान की पुनः जॉच कर विरासत का नामांतकरण पुनः निर्णित करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बहरोड़ ने अपने जवाब में जाहिर किया कि इंतकाल संख्या 993 दिनांक 09.05.2022 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा सरपंच द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर तत्कालीन पटवारी एवं तहसीलदार बहरोड़ द्वारा नामांतकरण स्वीकृत किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 पर विचार किया गया। न्यायहित में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दफा–5 में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इंतकाल संख्या 993 दिनांक 09.05.2022 के द्वारा विरासत का नामांतकरण तस्दीक किया गया है। वकील अपीलान्ट की बहस एवं पैरोकार सरकार के जवाब तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार बहरोड़ द्वारा स्वीकार इन्तकाल सं0 993 दिनांक 09.05.2022 वाके ग्राम नंगलारूध देवनगर तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड के संबंध में पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बहरोड को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में में रामकिशन उर्फ किशनलाल पुत्र गणेशराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम नंगलारूध देवनगर तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ विधिवत् वारिसान की जॉच कर नियमानुसार विरासत का नामांतकरण पुनः निर्णित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड